



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112020-222937
CG-DL-E-03112020-222937

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3500]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2020/ कार्तिक 12, 1942

No. 3500]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2020/KARTIKA 12, 1942

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3964(अ).—भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में जगदीशपुर-हल्दिआ एवं बोकारो-धामरा पाइपलाइन (जे एच बि डि पि एल) और स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, पुरुलिया जिला, गेल (इंडिया) लिमिटेड, पश्चिम बंगाल राज्य, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

जगदीशपुर – हल्दिया एवं बोकारो – धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट
आईपीएस-६ डीडीपीएल मेनलाइन से एफ़सीआई सिंदरी
अनुसूची
राज्य—पश्चिम बंगाल

जिला	थाना	मौजा	थाना नं	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर—आर—वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6		
पुरुलिया	रघुनाथपुर 2	छतरमाहूल	२४	677	00	00	33
पुरुलिया	रघुनाथपुर 2	उसीर	१५	2931	00	20	96
पुरुलिया	रघुनाथपुर 2	चक कनक्यूरी	१६	124	00	00	91

[फा.सं.—एल—14014 / 48 / 2020—जी.पी.—II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2020

S.O. 3964(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline, in the State of West Bengal, a Pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, Purulia District, GAIL (India) Limited, State of West Bengal.

JAGDISHPUR-HALDIA AND SPUR PIPELINE PROJECT

IPS-6 DDPL MAINLINE TO FCI SINDRI

SCHEDULE

State : West Bengal

District	Thana	Village	JL No.	Survey No.	Area		
					Hect.- Are - Sq. mtr.		
1	2	3	4	5	6		
Purulia	Raghunathpur 2	Chaturmahul	24	677	00	00	33
Purulia	Raghunathpur 2	Usir	15	2931	00	20	96
Purulia	Raghunathpur 2	Chak Kanakuri	16	124	00	00	91

[F. No. L-14014/48/2020-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.